तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/10/25	वकील फरीकेन उप०। प्रा०पत्र O22 R4 CPC 15 पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दावा संख्या 43/10 उनवान [illegible] बनाम [illegible] प्रकरण दिनांक 22/7/10 से विचाराधीन है। उक्त दावे में एक प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा O22 R4, धारा 5 म्याद अधिनियम जवाब पेश कर प्रतिवादी अधिवक्ता पेशकर निवेदन किया कि प्रतिवादी नंबर 4 शान्तीलाल व प्रतिवादी संख्या 5 हरी की मृत्यु को 2-3 साल का अर्सा हो चुका है। मृत्यु दिनांक, दिवस, माह एवं सन् अंकित नहीं किया है। अवधपार। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने बहस कर निवेदन किया कि प्रतिवादी प्रतिवादी नंबर 4 शान्तीलाल व प्रतिवादी संख्या 5 हरी के वारिसों को रिकार्ड पर लिया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया है कि वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के मरने की कोई सूचना पूर्व में नहीं दी गयी प्रतिवादी की मृत्यु 2-3 वर्ष पूर्व हो जाने के सम्बन्ध सूचना देरी व म्याद बाहर होने के कारण खारिज किया जावे। साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है ना ही देरी का कारण स्पष्ट किया है। पक्षकारान की फौती सूचना देना वादी व वादी अधिवक्ता की जिम्मेदारी होती है जो वादी द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:28:05 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त पत्रावली का अवलोकन मनन करने के पश्चात यह निष्कर्ष है कि वादी द्वारा प्रतिवादी की फौती सूचना तय समय में नहीं की गई है व डिले का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। साथ ही मृत्यु प्रमाण-पत्र भी संलग्न नहीं किया है। मात्र ही उक्त दावा दिनांक 22/7/10 से लंबित है। इस प्रकार उक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रा० पत्र 02284/24 धारा 5 खारिज किया जाता है। दावा वादी एबेट (उपशमन) होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा से दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:28:05 IST
Reason: SelfAttested